राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 114/17 दायरा दिनांक 18.05.2017 पीठासीन अधिकारी

श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर
प्रार्थी.................

बनाम

सुखाराम पुत्र तोलाराम जाति शर्मा निवासी ज्याक
अप्रार्थी.............

<u>निर्णय</u> दिनांक 25.08.2017

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी सुखाराम पुत्र तोलाराम जाति शर्मा निवासी ज्याक नोखा सड़क मार्ग के दक्षिण दिशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 39.75 वर्ग मीटर भूमि पर मकान का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तारीख पेशी को जवाब प्रस्तुत किया कि उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में निर्माण कर अतिक्रंमण नहीं किया है, उसने अपनी स्वयं की हिस्सा पांती पट्टा संख्या 25 दिनांक 11.07.1987 में निर्माण करवाया है। उसने अतिक्रमण नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी सुखाराम पुत्र तोलाराम जाति शर्मा निवासी ज्याक ने सा0नि0वि0 की सड़क सीमा में 39.75 वर्ग मीटर भूमि पर मकान का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रस्तुत पट्टे में तत्कालीन ग्राम पंचायत को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सीमा में पट्टे जारी करने का विधिसम्मत अधिकार नहीं है अतः नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और साहयक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम कातर छोटी 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 39.75 वर्ग मीटर की राशि 01/– एक रूपया वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनशिचित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर